

14.05.2019

वकुलाय उपाध्यक्ष उप.

बहुस हेतु डाकबंदी काहते है जो न्याय हेतु  
में दिया जाकर प्रभावली दिनांक 23.07.19  
को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
पाली

23.7.19

वकु. उप.

बहुस सुनी गयी, प्रभावली वास्ते निर्णय  
दि. 30.7.2019 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
पाली (सज.)

30.07.2019

वकुलाय उपाध्यक्ष उप.

प्रभावली का क्वलोरन किमा बहल 48  
मनन किभाग, लिहाजा अल्थाई विशेषज्ञ  
विकट्ट क्षुपाची गण जारी भिये जाने जेणे कोडे  
तुष्य पुकर नही होते हे। कतः प्रार्थना पत्र  
इन्तर्गत धारा 212 R.T. Act सहपत्र  
15। सी.पी.सी. खारिज किमा जाता है।  
प्रा.प.मूल वाद के संलग्न किमाजावां

सहायक कलेक्टर  
पाली